न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 11/09/2026 GCMS **संख्या:** 2026/8

दर्ज दिनांक: 07-04-2026 **निर्णय दिनांक:** 20-05-2026

1–राकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम फूसापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
रेस्पोडेन्ट

2– सुबेसिंह पुत्र रामस्वरूप,
3– विधा देवी पुत्री रामस्वरूप,
4– कौशल्या देवी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासीयान ग्राम फूसापुर (फूसा की ढाणी) तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व तहसीलदार, कोटकासिम नामान्तकरण संख्या 1173 वाके ग्रामं लालपुर तहसील कोटकासिम निर्णय दिनांक 13.05.2016

उपस्थितिः
1– श्री बस्तीराम यादव — वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 67 निर्णय दिनांक 04.01.2024 वाके ग्राम सिरोडखुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 4 को मृतक पिता रामस्वरूप की फौतगी पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 42 दिनाक 21.09.2022 को प्राप्त हुई है, आराजी खानदानी है, मौके पर अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान वाके ग्राम फूसापुर के निवासी है, लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2078 मे अपीलान्ट राकेश कुमार, सुबेसिंह पुत्रान व विधा देवी, कौशल्या देवी साकिन देह खातेदार दर्ज हो गया था, और विधा देवी, कौशल्या पुत्रीयान रामस्वरूप ने अपने हिस्से की रिलिजडीड दिनाक 12.05.2023 को अपने भाई अपीलान्ट राकेश कुमार व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुबेसिंह पुत्र रामस्वरूप के पक्ष में तहरीर कराकर उप पंजीयक मुण्डावर से तस्दीक करा दी गयी। रिलिजडीड के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 67 भर दिया था, लेकिन तहसीलदार मुण्डावर ने नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि रिलिजकर्ता व रिलिज ग्रहिता को रिलीजडीड में निवासी फूसापुर होना अंकित है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2078 में रिलीज ग्रहिता व रिलीज कर्ता का निवास सिरोड खुर्द दर्ज है। पक्षकारान के निवास में भिन्नता होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया गया है। इसके पश्चात अपीलान्ट ने तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 पेश कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का निवास फूसापुर राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किये जाने बाबत पेश किया गया, जिसकी जॉच पडताल के बाद अब दिनाक़ 11.07.2025 को नामान्तकरण संख्या 139 के जरिये राजस्व जमाबन्दी को दुरस्त किया गया है। अब राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्ट का निवास ग्राम फुसापुर दर्ज है, और अपीलान्ट/तरतीबी का निवास वास्तव मे भी फूसापुर है। अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के निवास की गलती को दुरूस्त कराने के बाद रिलिजडीड नामान्तकरण कराने बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से निवेदन किया किन्तु क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

18.01.2024 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व कर्मचारियो से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने के लिए निवेदन किया तो राजस्व कर्मचारियो ने रिकार्ड दुरूस्त करने के लिए अपीलान्ट को चक्कर लगवाते रहे बमुश्किल दिनाक 11.07.2025 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के निवास सिरोड खुर्द से फूसापुर दुरूस्त किया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.01.2024 से दिनाक 18.01.2024 तक का समय जानकारी के अभाव में व दिनाक 18.01.2024 से दिनाक 11.07.2025 का समय राजस्व रिकार्ड में अपना निवास स्थान दुरूस्त कराने में लगे समय सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनाक 28.01.2026 को पुनः रिलिज के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने से मना करने तक का समय उपशमन किया जावे। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जावे, एव अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 04.02.2026 को पेश की गयी है। जो करीब 02 वर्ष 01 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.01.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 18.01.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है।

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 4 को मृतक पिता रामस्वरूप की फौतगी पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 42 दिनाक 21.09.2022 को प्राप्त हुई है, मौके पर अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान वाके ग्राम फूसापुर के निवासी है, लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2078 मे अपीलान्ट राकेश कुमार, सुबेसिंह पुत्रान व विधा देवी, कौशल्या देवी साकिन देह खातेदार दर्ज हो गया, और विधा देवी, कौशल्या पुत्रीयान रामस्वरूप ने अपने हिस्से की रिलिजडीड दिनाक 12.05.2023 को राकेश कुमार व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुबेसिंह पुत्र रामस्वरूप के पक्ष में तहरीर कर उप पंजीयक मुण्डावर से तस्दीक करा दी गयी। रिलिजडीड के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 67 भर दिया था, लेकिन तहसीलदार मुण्डावर ने नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया की रिलिजकर्ता व रिलिज ग्रहिता को रिलीजडीड में निवासी फूसापुर होना अंकित है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2078 में रिलीज ग्रहिता व रिलीज कर्ता का निवास सिरोड खुर्द दर्ज है। पक्षकारान के निवास में भिन्नता होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया गया है। वर्तमान में अपीलान्ट के कथनानुसार राजस्व रिकार्ड में निवास बाबत दुरूस्ती करायी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 67 वाके ग्राम सिरोडखुर्द तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 04.01.2024 निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रंषित किया जाता है, कि अपीलान्टान/रेस्पोडेन्टान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)